(c) how was a railway free pass issued to him at all, and if not, how was he able to go on travelling unchecked;

(d) what action is being taken against the said imposter, and

(e) whether the said imposter previously enjoyed any free hospitality including free lodgings from the Railways and if so, how?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN). (a) Yes

(b) During the course of a preventive check by Railway Vigilance, two passengers were detected travelling on I Class Complimentary Card Pass purported to be issued by the Railway Board One such pass was seized by Railway Vigilance Inspector on suspicion that it was forged Subsequent investigation revealed that the pass so seized as well as second pass, which was later on seized from the passenger, were forged ones The Railway Vigilance has handed over this case to State C I.D. for further investigation and legal action

(c) No I Class Complimentary Card Pass was issued to this passenger by the Railway Board The passenger travelled on forged pass

(d) A case has been registered by the State C I D and investigations are in progress

(e) No information on this aspect is available

बरौनी तेल शोधक कारखाने में पानी का जमा होना

3821. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1976 की बरसात में बरौनी तेल शोधक कारखाना क्षेत्र में वर्षा का पानी जमा हो जाने के कारण कारखाने का काफी दिनों तक बन्द रखना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या पानी जमा होने के कारणों में मानवीय भूलें भी थीं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सितम्बर, 1976 वर्ष में बरौनी तेल शोधनशाला के बहुत से एककों को तेल शोधनशाला के क्षेत्र में वर्षा के पानी जमा हो जाने के कारण जो कि केबिल की खाईयों और विद्युत् प्रतिस्थापनों तक में पहुंच गया था 11 से 26 दिन तक बन्द रखना पड़ा।

(ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन के अनुसार तेल शोधनशाला क्षेत्र में वर्षा के पानी का जमा होने का कारण क्षेत्र में अभूतपूर्व वर्षा का होना था। उनके अनुसार वर्षा के कारण हुई अस्तव्यस्तता तेल शोधनशाला के प्रबंधकों के नियंत्रण के बाहर थी।

स्टेशनों पर जलपान गृह

3822. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं जहां जलपान गृहों की व्यवस्था है और कितनी रेलगाडियों में भोजन-यानों की व्यवस्था है,

(ख) इस व्यवसाय में कितने लोग लगे हैं, और

(ग) क्या उक्त व्यवसाय में लगे कम आय वाले कर्मचारियों की दशा सन्तोषजनक नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख). 70 जोडी गाडियों में चल-खानपान-यान सेवा की व्यवस्था की गयी है। उपाहार गृहों और प्रश्न के भाग (ख) से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) चल खान पानयानों और उपाहार गृहों का प्रबन्ध रेलों द्वारा विभागीय स्तर पर और ठेकेदारों को ठेके पर देकर, दोनों तरीकों से किया जाता है। विभागीय इकाइयों में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वही हैं जो कि अन्य रेलवे कर्मचारियों की होती हैं। अभी हाल ही में यह विनिश्चय किया गया है कि विभागीय उपाहार गृहों और चल-यूनिटों में कमीशन के आधार पर काम करने वाले सभी बेयरों को चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर नियमित रेलवे कर्मचारियों के रूप में समाहित किया जाय। ठेकेदारों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में रेलें कोई ब्यौरा नहीं रखती हैं क्योंकि वे ठेकेदारों के निजी कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें वर्तमान श्रमिक कानूनों से शासित होती हैं। इन कर्मचारियों के ऐसे विशिष्ट मामले जिनकी सेवा की शर्तें संतोषजनक नहीं हैं यदि रेलवे के नोटिस में लाये जाते है तो उस मामले की जांच की जायेगी।

मिट्टी के तेल के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में अन्तर

3823. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में भारी अन्तर है;

(ख) मिट्टी के तेल के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसे रोका नहीं जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) शोधनशाला से बाहर मूल्य में मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क सहित मूल्य तथा अधिकतम बिक्री मूल्य में नहत कम अन्तर है।

(ख) और (ग). फुटकर बिक्री मूल्य के अन्तर्गत परिवहन तत्व, एजेंटों को लाभ बिक्री कर, चुंगी आदि जो कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग अलग हैं, सम्मिलित हैं। इन्हीं कारणों से सभी स्थानों पर मिट्टी के तेल के समान बिक्री मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है। यद्यपि शोधनशाला से बाहर मूल्य, केन्द्रीय उत्पाद मूल्य और तेल कम्पनियों के प्रभार और लाभ समान हैं।

न्याय व्यवस्था

3824. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश की वर्तमान न्याय-व्यवस्था इतनी जटिल तथा लम्बी है कि इसके अधीन किसी व्यक्ति को शीघ्र न्याय नही मिल पाता जिससे न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी सरल न्याय व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करेगी जिससे लोगों को अतिशीघ्र तथा कम खर्च पर न्याय मिल सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग). यह सही है कि कभी कभी न्याय के काम में विलम्ब हो जाता है। मामलों को शीघ्र निपटाने और विलम्ब कम करने की दृष्टि से पुरानी प्रक्रियात्मक और मूल विधियों में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। इनमें से कुछ विधायी अध्युपाय इस प्रकार हैं, अर्थात् :—

(1) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 जिसके द्वारा अनेक विषयों में उच्चतम न्यायालय को अपील करने के अधिकार को निर्बन्धित कर दिया गया है;